

प्राथमिक पत्र जारी आ न्यायालय की इति
में अर्थात् विधेयाना के देवु उपमुख्य ली है

अतः जारी आ प्राथमिक पत्र अंतर्गत द्वारा
212 राज. अधिनियम आधिनियम वास्ते मोज

आसोज, खसरा न. 231 रुकवा 14.05 बीघा

242 रुकवा 6.13 बीघा एवं खसरा न.

358 रुकवा 5.19 बीघा आ खारिज किया

है। पत्रावली कैसल शुमार होउर

ले इस होउर शामिल मूल वाद हो



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक जिला मजिस्ट्रेट (आर.ट्रेंक)
जयपुर

12/01/17 पत्रावली आज वर्युडाम केप डेटे खतिवली
में पेश हुई। पत्रावली धारा 212 राज अंतर्गत
अधिनियम 1955 दिनांक 18/7/13 से लभित
है। अपार्थि स-2 का जवाब प्रस्तुत व खलम
पत्रावली है। अपार्थि सं. 1 तहसीलदार का
जवाब आदिनांक तक प्राप्त नहीं। मोडे डेप
में ही अपार्थि स-1 द्वारा सीधे ही बदन
में भाग लिया गया। चूंकि अस्पष्ट विधेयता
पार्थिना पत्र लागू 4 वर्षों से लभित है
एवं पार्थि स्वकृप सूचना के आज डेपमें उपस्थित है।
जो कि विद्युले भी -यामोचित नहीं है।

अतः पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन
किया जाकर पत्रावली का परिशीलन किया



थम दुल्लया, सुनिधा के संतुलन

अधिकारीय सति के बिंदु पर उम्त
 सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फॉरेस्ट ट्रेक)
 गुरुगढ़